"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती चुन्नी ठाकुर (Chunni Thakur) ध. प. बलराम ठाकुर, उम्र 35 वर्ष, निवासी-मकान क्रमांक 8/जी, सेक्टर-2, सड़क 15, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा नाम वर्तमान में शैक्षणिक, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा नाम चुन्नी ठाकुर (Chunnee Thakur) ध. प. बलराम ठाकुर अंकित है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती चुन्नी ठाकुर (Chunni Thakur) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती चुन्नी ठाकुर धर्मपत्नि बलराम ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

चुन्नी ठाकुर (Chunnee Thakur)
ध. प. बलराम ठाकुर
निवासी-मकान क्रमांक 8/जी, सेक्टर-2, सड़क 15,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती चुन्नी ठाकुर (Chunni Thakur)
धर्मपत्नि बलराम ठाकुर
निवासी-मकान क्रमांक 8/जी, सेक्टर-2, सड़क 15,
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती तुलसी वर्मा पति श्री नरेश वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 214/1, साउथ कालोनी, स्टेशन पारा, वार्ड क्र. 5, डोंगरगढ़, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मैं तुलसी बाई पिता श्री मदनराम के नाम से जानी व पहचानी जाती थी. मेरा विवाह हिन्दू रीति रिवाज से घनश्याम लाल उइके आ. स्व. आजाद, निवासी डोंगरगढ़ के साथ सम्पन्न हुआ था तभी से मेरे सभी दस्तावेजों शासकीय नौकरी, शासकीय, अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती तुलसी बाई ध. प. घनश्याम लाल उइके दर्ज है. मेरे पति घनश्याम लाल उइके की आकस्मिक मृत्यु दिनांक 29-4-2010 को हो चुकी है. मैं परिवार वालों की सहमति से पुनर्विवाह दिनांक 17-11-2014 को आर्य समाज मंदिर रायपुर में नरेश वर्मा आ. स्व. मन्नूलाल वर्मा से कर ली हू. पुनर्विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती तुलसी वर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती तुलसी वर्मा पति श्री नरेश वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

तुलसी बाई
ध. प. स्व. घनश्याम लाल उइके
निवासी- बुधवारी पारा, वार्ड नं. 05, डोंगरगढ़,
तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती तुलसी वर्मा
ध. प. श्री नरेश वर्मा
निवासी-क्वा. नं. 214/1, साउथ कालोनी स्टेशन पारा,
वार्ड क्र. 5, डोंगरगढ़ तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रविश जेकब (Ravish Jacob) आत्मज स्व. श्री बाबूराव, उम्र 35 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-26/एच, ट्यूबलर शेड, सड़क एवेन्यू-ए, सेक्टर 7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम वर्तमान में शैक्षणिक, शासकीय व अर्धशासकीय एवं अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में रविश (Ravish) आत्मज बाबूराव दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रविश जेकब (Ravish Jacob) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रविश जेकब आत्मज स्व. बाबूराव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रविश (Ravish)
आत्मज स्व. बाबूराव
निवासी- क्वा. नं.-26/एच, ट्यूबलर शेड, सड़क एवेन्यू-ए,
सेक्टर 7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

रविश जेकब (Ravish Jacob)
आत्मज स्व. बाबूराव
निवासी- क्वा. नं.-26/एच, ट्यूबलर शेड, सड़क एवेन्यू-ए,
सेक्टर 7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, धनीराम कुरील पिता स्व. परमसुख कुरील, उम्र 55 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 14 बी, सड़क एवेन्यू बी, सेक्टर 2, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे बी. एस. पी. भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धनीराम लिखा हुआ है तथा मेरे स्वयं के आधार कार्ड एवं पेनकार्ड में डी. आर. कुरील लिखा हुआ है एवं ड्रायविंग लाइसेंस में मेरा नाम धनीराम कुरील लिखा हुआ है. मैं अपने नाम के साथ सरनेम " कुरील " जोड़कर नया नाम/उपनाम धनीराम कुरील रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे धनीराम कुरील पिता स्व. परमसुख कुरील के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

धनीराम
पिता स्व. परमसुख
निवासी- क्वा. नं. 14 बी, सड़क नं. एवेन्यू बी, सेक्टर 2,
भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

धनीराम कुरील
पिता स्व. परमसुख कुरील
निवासी- क्वा. नं. 14 बी, सड़क नं. एवेन्यू बी, सेक्टर 2,
भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शिव प्रसाद साहू आत्मज स्व. श्री सुनहर साहू उर्फ भुरवा राम, उम्र 64 वर्ष, निवासी-ग्राम व पोस्ट ओटेबंद, तहसील धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कृषि संबंधी अभिलेख जैसे पटवारी अभिलेख, ऋण पुस्तिका में मेरे पिताजी का नाम सुनहर लिखा गया है मतदाता परिचय पत्र व अन्य अभिलेखों जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, समस्त बैंक, मेडिकल, बिजली बिल, जिला दुर्ग स्थित जमीन संबंधी दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम भुरवा राम लिखा गया है. मेरे पिताजी का भुरवा राम नाम घरेलू पुकारा जाने वाला नाम है जो स्कूल के प्रवेश के समय दर्ज हो गया है. पिताजी का नाम भुरवा राम दर्ज हो जाने के कारण ऊपर दर्शित समस्त दस्तावेजों में भुरवा राम दर्ज हो गया है. मैं अपने नाम के साथ पिताजी का नाम परिवर्तित कर नया नाम शिव प्रसाद साहू आत्मज स्व. सुनहर साहू उर्फ भुरवा राम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शिव प्रसाद साहू आत्मज स्व. श्री सुनहर साहू उर्फ भुरवा राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

शिव प्रसाद साहू
आत्मज-सुनहर साहू उर्फ भुरवा राम
निवासी- ग्राम ओटेबंद, तहसील धमधा
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शिव प्रसाद साहू
आत्मज-सुनहर साहू उर्फ भुरवा राम साहू
निवासी- ग्राम ओटेबंद, तहसील धमधा
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पुनित राम चन्द्राकर पिता स्व. श्री गैंदलाल चन्द्राकर, उम्र 47 वर्ष, निवासी- मौहारी मरोदा, पात्रो किराना स्टोर्स के पास, सिविक सेन्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा नाम पुनित राम चन्द्राकर आ. स्व. गैंदलाल चन्द्राकर है जो सत्य व सही है तथा मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरे पिताजी का नाम गैंदलाल चन्द्राकर दर्ज है परन्तु भिलाई स्टील प्लांट में वाटर मेन्टेनेंस डिपाट प्लांट के अंदर ठेका श्रमिक कार्ड में मेरा नाम भुलवश गलती से पुनित राम चन्द्राकर आत्मज रामजी चन्द्राकर लिखा हुआ है जो गलत है. मैं अपने नाम के साथ पिताजी का नाम परिवर्तित कर नया नाम पुनित राम चन्द्राकर आत्मज गैंदलाल चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे पुनित राम चन्द्राकर आत्मज गैंदलाल चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पुनित राम चन्द्राकर
पिता श्री रामजी चन्द्राकर
निवासी- मौहारी मरोदा, पात्रो किराना स्टोर्स के पास,
सिविक सेन्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

पुनित राम चन्द्राकर
पिता गैंदलाल चन्द्राकर
निवासी- मौहारी मरोदा, पात्रो किराना स्टोर्स के पास,
सिविक सेन्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय लोक न्यास का पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुंद जिला महासमुंद (छ. ग.)

महासमुंद, दिनांक 30 मार्च 2016

प्ररूप क्र. 4
[देखे नियम 5 (1)]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक 52/2016 क/लो. न्या. पंजी./2016 कले. महो.—यत: कि श्री पारस चोपड़ा, निवासी बागबाहरा रोड महासमुंद मैनेजिंग ट्रस्टी, श्री सिद्धेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तीर्थ ट्रस्ट महासमुंद तहसील व जिला महासमुंद ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2016 के अप्रैल 25 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

अत: मैं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महासमुंद जिला महासमुंद का लोक न्यायों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 25 अप्रैल 2016 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है, और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सिद्धेश्वर पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक तीर्थ ट्रस्ट महासमुंद तहसील व जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़)
(2)	चल संपत्ति	:	रुपये-3,57,000.00 (अक्षरी तीन लाख सन्तावन हजार रुपये मात्र)
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

अभिषेक अग्रवाल,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा (छ. ग.)

बेमेतरा, दिनांक 31 मार्च 2016

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबेमे./परिसमापन/2016/255 .—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 424 दिनांक 11-06-2013 के द्वारा बजरंग कृषक फल फूल सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित नवकेशा तहसील साजा विकास खण्ड साजा जिला बेमेतरा जिसका पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 16-03-2000 है, को सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 7 के अंतर्गत श्री नीरज खत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. आज दिनांक से उक्त संस्था निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31-03--2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 31 मार्च 2016

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबेमे./परिसमापन/2016/256 .—कार्यालयीन आदेशानुसार द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित राखी तहसील साजा विकास खण्ड साजा जिला बेमेतरा जिसका पंजीयन क्रमांक 2251, दिनांक 18-2-1985 है, को सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 7 के अंतर्गत श्री नीरज खत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. आज दिनांक से उक्त संस्था निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31-03--2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक/उपबेमे./परिसमापन/2016/257 .—कार्यालयीन आदेशानुसार द्वारा इंदिरा मछुवा सहकारी संस्था मर्यादित देवकर तहसील साजा विकास खण्ड साजा जिला बेमेतरा जिसका पंजीयन क्रमांक 2114 दिनांक 4-7-1972 है, को सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 7 के अंतर्गत श्री नीरज खत्री को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एस. के. तिग्गा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं. आज दिनांक से उक्त संस्था निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 31-03--2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. तिग्गा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, साई कृपा क्रय-विक्रय सह समिति मर्या. तोरवानाका

बिलासपुर, दिनांक 01 अप्रैल 2016

क्र. /परि./2016.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2016/198 बिलासपुर, दिनांक 15-01-2016 द्वारा समिति का नाम सांई .कृपा क्रय-विक्रय सह समिति मर्या. तोरवानाका पं. क्र. 283 दिनांक 08-08-2010 को परिसमापन में लाया गया, छ. ग. सहकारी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

ममता रायकर,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक

कार्यालय, परिसमापक उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर छ. ग.

बिलासपुर, दिनांक 01 मार्च 2016

क्र. /परि./2016 .—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.) के आदेश क्र./परि/2016/597 बिलासपुर, दिनांक 10-02-2016 द्वारा समिति का नाम जय फुलवारी बाबा आदि. मछुवा सहकारी समिति अपरखुजी पं. क्र. 153 दिनांक 02-09-2003 को परिसमापन में लाया गया, छ. ग. सहाकरी संस्थाएं, नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत परिसमापन की कार्यवाही हेतु सर्वसाधारण के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है कि समिति के दावेदार/लेनदार अपने दावेमय लिखित में प्रमाण इस प्रकाशन के 60 दिन के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा अभिलेख एवं जानकारी के आधार पर परिसमापन की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं का रिकार्ड/संपत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

दीपक सिंह कंवर,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक